भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1137

दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

पीएमएमवीवाई

1137. श्री धनुष एम॰ कुमारः
श्री जी॰ सेल्वमः
श्री रेबती त्रिपुराः
डॉ॰ भारतीबेन डी॰ श्यालः
श्रीमती संध्या रायः
श्रीमती गीताबेन वी॰ राठवाः
श्री शान्तनु ठाकुरः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री विजय कुमार दुबेः
श्री मोहनभाई कुंडारियाः
श्रीमती क्वीन ओझाः
श्री नारणभाई काछड़ियाः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना की प्रभावी निगरानी के लिए कोई वेब-आधरित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, पीएमएमवीवाई के तहत नामांकित महिला लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है और गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थी महिलाओं की संख्या कितनी है और उन्हें मातृत्व-लाभ के रूप में कितनी राशि भुगतान की गई है;

(घ) क्या गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (प्रधानमंत्री-एमवीवाई) की प्रमुख योजना ने एक करोड़ लाभार्थियों की संख्या पार करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (प्रधानमंत्री-एमवीवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों को कुल कितनी राशि संवितरित की गई है;

(च) केंद्र और राज्य सरकारों के बीच योजना के वित्तपोषण अनुपात का ब्यौरा क्या है; और

(छ) उन महत्वपूर्ण मुद्दों का ब्यौरा क्या है जो योजना के कार्यकरण/क्रियान्वयन के संबंध में सूचित किए गए हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए/किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (i) मजदूरी की क्षति के बदले में नकद प्रोत्साहन के रूप में आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करने, ताकि महिलाएं पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सकें; तथा (ii) गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यूएंडएलएम) में स्वस्थ रहने के आचरण में सुधार हेतु नकद प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है । प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की मुख्य विशेषताएं

अनुलग्नक-I पर संलग्न हैं । प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना-कॉमन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएएस) पर अभी तक (18.11.2019

तक) देश के 1,24,79,112 लाभार्थियों से 3,10,50,842 आवेदन प्राप्त हुए हैं । 44,58.70 करोड़ रूपए (केन्द्र तथा राज्य के शेयर सहित) का मातृत्व लाभ 1,10,55,029 पात्र लाभार्थियों को भुगतान किया गया है ।

(ख) : पीएमवीवीवाई वैब आधारित प्रबन्धन एवं सूचना तंत्र (एमआईएस) सॉफ्टवेयर अर्थात् प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना – कॉमन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमवीवीवाई-सीएएस) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, जिसका इस्तेमाल स्कीम की नियमित मॉनिटरिंग के लिए एक प्रभावशाली उपकरण के रूप में किया जा रहा है ।

(ग) : यथा दिनांक 31.03.2019 तक गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित पीएमएमवीवाई के तहत नामांकित कुल लाभार्थियों की संख्या और उन्हें भुगतान किए गए मातृत्व लाभ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-II में वर्णित है ।

(घ) : पीएमएमवीवाई के तहत यथा दिनांक 18.11.2019 तक पात्र लाभार्थियों को 1.10 करोड़ रुपये से अधिक का मातृत्व लाभ का भुगतान किया गया है ।

(ड.) : यथा दिनांक 18.11.2019 तक 1,10,55,029 पात्र लाभार्थियों को 44,58.70 करोड़ रुपये (केंद्र और राज्य का शेयर सहित) मातृत्व लाभ का भुगतान किया गया है ।

(च) : पीएमएमवीवाई एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है, जिसके अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्यों एवं विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच लागत शेयरिंग 60:40 उत्तर-पूर्वी राज्यों, तीन हिमालयी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए यह 90:10 है तथा बिना विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह 100% है ।

(छ) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन में आ रही ऑपरेशनल दिक्कतों, जब भी कभी बताई गई हैं, का आपसी/तकनीकी विचार-विमर्श के जरिए समाधान किया गया है ।

*****

अनुलग्नक-।

'पीएमएमवीवाई' विषय पर श्री धनुष एम॰ कुमार, श्री जी॰ सेल्वम, श्री रेबती त्रिपुरा, डॉ॰ भारतीबेन डी॰ श्याल, श्रीमती संध्या राय, श्रीमती गीताबेन वी॰ राठवा, श्री शान्तनु ठाकुर, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री विजय कुमार दुबे, श्री मोहनभाई कुंडारिया, श्रीमती क्वीन ओझा तथा श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1137 के उत्तर भाग (क) में संदर्भित विवरण

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की मुख्य विशेषताएं

i) मातृत्व लाभ, किसी महिला को परिवार के प्रथम जीवित बच्चे के लिए उपलब्ध हैं, बशर्ते वह शर्तें पूरी करती हों । केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित आधार पर नियोजित अथवा किसी भी कानून के तहत फिलहाल ऐसे लाभ प्राप्त करने वाली सभी गर्भवती महिलाएं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को इस योजना के लाभ से बाहर रखा गया है ।

ii) पीएमएमवीवाई के तहत शर्तें तथा किस्तों की संख्या इस प्रकार हैं :

राशि अंतरण	शर्तें	राशि (रूपयों में)
पहली किस्त	• गर्भधारण का समय से पंजीकरण	1,000/-रुपये
दूसरी किस्त	• कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच (गर्भधारण के 6 माह बाद)	2,000/-रुपये
तीसरी किस्त	• बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराया जाता है • बच्चे ने बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी तथा हैप्टाइटिस बी या इसके समतुल्य/एवज़ी का पहला चक्र प्राप्त कर लिया है	2,000/-रुपये

iii) माता और बाल संरक्षण कार्ड(एमसीपी) कड़े शर्तों को पूरा करने के बारे में सत्यापन के लिए सत्यापन उपकरण हैं ।

iv) गर्भावस्था के शुरुआती पंजीकरण को पिछले मासिक धर्म अवधि (एलएमपी) की तारीख से 150 दिनों के भीतर गर्भावस्था के पंजीकरण के रूप में माना जाता है और एमसीपी कार्ड पर विधिवत दर्ज किया जाता है ।

v) सभी गर्भवती महिलाएं, जिन्होंने 01.01.2017 को या उसके बाद परिवार में पहले बच्चे के लिए अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण कराया है, वे कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं ।

vi) पीएमएमवीवाई के अंतर्गत लाभार्थियों को निधि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से सीधे उनके बैंक/ डाकखाने के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी ।

vii) यदि किसी लाभार्थी को प्रसव के समय दो/तीन/चार बच्चे पैदा होते हैं तो उसे परिवार में प्रथम जीवित बच्चा गिना जाएगा ।

viii) लाभार्थी किसी भी समय आवेदन कर सकता है, परन्तु गर्भावस्था के 730 दिन के बाद नहीं ।

ix) स्कीम के विभिन्न घटकों के लिए सहायता अनुदान एस्क्रो खाते के साथ ही तथा राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के खजाने में अंतरित कर दी जाती है । मातृत्व लाभ घटक के लिए (5000/- रूपए की राशि का सशर्त नकद अंतरण) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के एस्क्रो खाते में और शेष घटकों के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के खजाना खाते के माध्यम से अंतरित की जाती है ।

x) केन्द्र में, इस स्कीम को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों का मत है कि स्कीम को महिला एवं बाल विकास विभाग / समाज कल्याण विभाग के माध्यम से क्रियान्वित किया जाए या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से क्रियान्वित किया जाए ।

*****

'पीएमएमवीवाई' विषय पर श्री धनुष एम॰ कुमार, श्री जी॰ सेल्वम, श्री रेबती त्रिपुरा, डॉ॰ भारतीबेन डी॰ श्याल, श्रीमती संध्या राय, श्रीमती गीताबेन वी॰ राठवा, श्री शान्तनु ठाकुर, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री विजय कुमार दुबे, श्री मोहनभाई कुंडारिया, श्रीमती क्वीन ओझा तथा श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1137 के उत्तर भाग (क) में संदर्भित विवरण

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत नामांकित लाभार्थियों की कुल संख्या और मातृत्व लाभ की भुगतान की गई राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (यथा दिनांक 31.03.2019 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकित लाभार्थियों की संख्या	भुगतान किया गया मातृत्व लाभ (रुपयों में)
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप	3,159	1,22,36,000
2.	आंध्र प्रदेश	6,23,036	2,17,28,44,000
3.	अरुणाचल प्रदेश	6,944	2,06,92,000
4.	असम	1,62,199	38,31,06,000
5.	बिहार	3,63,140	68,00,79,000
6.	चंडीगढ़	11,270	4,05,38,000
7.	छत्तीसगढ़	2,27,784	55,76,85,000
8.	दादर व नागर हवेली	3,815	1,08,46,000
9.	दमन व दीव	2,220	56,20,000
10.	दिल्ली	86,843	29,36,56,000
11.	गोवा	8,799	3,36,35,000
12.	गुजरात	3,92,648	1,51,62,36,000
13.	हरियाणा	2,51,010	94,89,19,000
14.	हिमाचल प्रदेश	89,914	31,28,42,000
15.	जम्मू व कश्मीर	82,738	27,06,20,000
16.	झारखंड	2,32,432	64,05,98,000
17.	कर्नाटक	4,78,224	1,52,99,91,000
18.	केरल	2,67,957	91,95,10,000
19.	लक्षद्वीप	544	12,44,000
20.	मध्य प्रदेश	10,59,436	3,61,89,52,000
21.	महाराष्ट्र	7,74,594	2,59,19,09,000
22.	मणिपुर	11,233	3,40,04,000
23.	मेघालय	3,885	1,18,26,000
24.	मिजोरम	11,148	4,51,51,000
25.	नागालैंड	3,236	1,01,44,000
26.	ओडिशा	7	23,000
27.	पुद्दुचेरी	9,391	3,29,26,000
28.	पंजाब	1,77,466	67,63,66,000
29.	राजस्थान	6,99,322	2,18,48,34,000
30.	सिक्किम	4,189	1,59,60,000
31.	तमिलनाडु	2,33,982	41,78,43,000
32.	तेलंगाना	3	0
33.	त्रिपुरा	24,707	5,89,00,000
34.	उत्तर प्रदेश	14,55,074	4,58,60,76,000
35.	उत्तराखंड	72,531	23,51,06,000
36.	पश्चिम बंगाल	3,87,219	1,27,59,44,000
कुल		**82,22,099**	**26,14,68,61,000**